यह निरीक्षण प्रतिवेदन **कार्यालय डिप्टी कमिश्नर (क0नि0)-IV, राज्य कर, देहरादून** द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार किया गया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी किसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय डिप्टी कमिश्नर (क0नि0)-IV, राज्य कर, देहरादून के माह 04/2017 से 03/2018 तक के लेखा अभिलेखों पर निरीक्षण प्रतिवेदन जो श्री नीरज कुमार एवं श्री सिराज हुसैन सहायक लेखापरीक्षा अधिकारियों एवं रवि भूषण, लेखापरीक्षक द्वारा दिनांक 19.07.2018 से 27.07.2018 तक श्री एन.के. सिन्हा, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित किया गया।

भाग-I

1. **परिचयात्मकः** इस इकाई की विगत लेखापरीक्षा श्री प्रवीण कुमार, श्री बी.एम त्रिपाठी, श्री निखिल गोस्वामी सहायक लेखापरीक्षक अधिकारियों द्वारा दिनांक 31.08.2017 से 11.09.2017 तक श्री हिमांशु मणि लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित की गयी थी। जिसमें राजस्व हेतु माह 04/2016 से 03/2017 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी थी। वर्तमान लेखापरीक्षा मे राजस्व हेतु माह 04/2017 से 03/2018 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी।

2.(i) **इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्रः**

(ii) (अ) **राजस्व विवरणः**

विगत तीन वर्षो मे कार्यालय द्वारा अर्जित राजस्व का ब्यौरा निम्नवत् है

वर्ष	**अर्जित राजस्व (₹ लाख में)**
2015-16	47156.23
2016-17	49419.30
2017-18	22927.87

(II) (ब) बजट का विवरण:-विगत तीन वर्षों में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैः

वर्ष	**आवंटित बजट राशि (₹)**	**व्यय राशि (₹)**	**अवशेष/समर्पण (₹)**
2015-16			
2016-17	**लागू नहीं है।**		
2017-18			

(स) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरण निम्नवत हैः

वर्ष	योजना का नाम	प्रारम्भिक अवशेष `	प्राप्त `	व्यय अधिक्य (+) `	बचत (-) `
लागू नहीं					

(iii) इकाई को बजट आवंटन इकाई द्वारा आहरण वितरण का कार्य नहीं किया जाता है। गैर स्थापना व्यय को सम्मिलित न करते हुए इकाई .....A.. श्रेणी की है।

(iv) विभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत हैः

सचिव वित्त- आयुक्त कर- एडिशनल कमिश्नर- ज्वाइन्ट कमिश्नर- डिप्टी कमिश्नर- सहायक आयुक्त- माल एवं सेवा कर अधिकारी

(V) लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधिः यह निरीक्षण प्रतिवेदन **कार्यालय डिप्टी कमिश्नर (क0नि0)-IV, राज्य कर, देहरादून** की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है।

(Vi) विस्तृत जांच हेतु माह का चयन :

राजस्व: - 03/2018 को विस्तृत जांच हेतु चयनित किया गया।

(vii) योजना का चयन :- शून्य

(Viii) लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्ते) अधिनियम, 1971 (डी पी सी एक्ट, 1971) की धारा 16 एंव लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

भाग – 2 (क)

प्रस्तर –01 कर का न्यूनारोपण `118 लाख|

उत्तराखंड मूल्यवर्धित कर अधिनियम 2005 की धारा 4(2)(b)(i)(e) के प्रावधानों के अंतर्गत किसी भी अनुसूची में सम्मिलित माल से भिन्न माल की बिक्री पर कर देयता 13.5% की दर से निर्धारित की गयी थी|

कार्यालय डिप्टी कमिश्नर (कoनिo) -IV राज्य कर, देहरादून के अभिलेखों की नमूना लेखापरीक्षा जांच में पाया गया कि व्योवहारी सर्वश्री इन्दाग रबर लिमिटेड, देहरादून स्वत: कर निर्धारण वर्ष 2014-15, 2015-16 द्वारा संगत वर्ष में `13,90,00,986/- की "टायर रेत्रेअडिंग रबर" (Tyre Retreading Rubber) की बिक्री 5% की दर से की गयी थी|

जबकि उक्त वस्तु उत्तराखंड मूल्यवर्धित कर अधिनियम 2005 की किसी भी अनुसूची से आछादित नहीं थी साथ ही कार्यालय आयुक्त कर, उत्तराखंड के पत्रांक 2163/धारा-57/आoयुo/उत्तराखंड देहरादून/2008-09 दिनांक 19.09.2008 के अनुसार Tyre Retreading Rubber की बिक्री पर कर देयता 13.5% की दर से निर्धारित की गयी थी| इस प्रकार Tyre Retreading Rubber की कुल बिक्री ` 13,90,00,986/- पर अन्तरीय दर 8.5%(13.5 - 5) से ` 1,18,15,084/- का अतिरिक्त कर आरोपणीय था जिस पर नियामानुसार ब्याज भी देय होगा।

सम्प्रेक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर कर निर्धारण अधिकारी द्वारा बताया गया कि आपत्तिगत वस्तु Tyre Retreading Rubber "रबर" ही है तथा शासन द्वारा पत्र सं 184 दिनांक 11 अगस्त 2006 में स्पष्ट की गयी स्थिति के अनुसार उक्त वस्तु पर 5% की दर से ही कर-आरोपणीय है।

विभाग का उत्तर मान्य नहीं था क्योंकि शासन के द्वारा निर्गत धारा – 57 के निर्णय के अनुसार उक्त वस्तु को अवर्गीकृत वस्तु की श्रेणी में रखा गया है|

प्रकरण शासन / उच्चाधिकारियों के संज्ञान में सुधारात्मक कार्यवाही हेतु लाया गया|

<u>भाग – 2 (ख)</u>

प्रस्तर –01 कर का न्यूनारोपण ` 3.89 लाख|

उत्तराखंड मूल्यवर्धित कर अधिनियम 2005 की धारा 4(2)(b)(i)(e) के प्रावधानों के अंतर्गत किसी भी अनुसुची में सम्मिलित माल से भिन माल की बिक्री पर करदेयता 13.5% की दर से निर्धारित की गयी थी|

कार्यालय डिप्टी कमिश्नर (कoनिo) –IV राज्य कर, देहरादून के अभिलेखों की नमूना लेखापरीक्षा जांच में पाया गया कि व्योवहारी सर्वश्री श्री प्लास्टिक पैकेजिंग, देहरादून कर निर्धारण वर्ष 2013-14 द्वारा संगत वर्ष में फॉर्म-16 का प्रयोग करते हुए Rs 45,81,223/- का "Thermal transfer ribbon, EPE Sheet, Thermocol sheet, Tape, self adhesive tape, footwear, Machine" का आयात किया गया जिसे व्यापारी द्वारा पैकिंग मटेरियल मानते हुए 5% की दर से बिक्रय किया गया |

जबकि उक्त वस्तु उत्तराखंड मूल्यवर्धित कर अधिनियम 2005 की किसी भी अनुसूची से आछादित नहीं थी अत: उक्त बिक्री पर 13.5% की दर से कर आरोपनिय होगा| इस प्रकार "Thermal transfer ribbon, EPE Sheet, Thermocol sheet, Tape, self adhesive tape, footwear, Machine" की कुल बिक्री Rs. 45,81,223/- पर अन्तरीय दर 8.5%(13.5 - 5) से Rs 3,89,404/- का अतिरिक्त कर आरोपणीय था जिस पर नियामानुसार ब्याज भी देय होगा।

सम्प्रेक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर कर निर्धारण अधिकारी द्वारा बताया गया कि आपत्तिगत वस्तुएँ Article of packing की श्रेणी में आती है तथा उत्तराखंड मूल्यवर्धित कर अधिनियम 2005 की अनुसूची II-B की प्रविष्टि संख्या 9 से आछादित होने के कारण 5% की दर से ही करयोग्य है|

विभाग का उत्तर मान्य नहीं था क्योंकि उक्त वस्तु पैकिंग मटेरियल की श्रणी में नहीं थी।

प्रकरण शासन / उच्चाधिकारियों के संज्ञान में सुधारात्मक कार्यवाही हेतु लाया गया|

भाग 2(ख)

प्रस्तर स-02 **अर्थदण्ड का अनारोपण ` 0.77 लाख|**

उत्तराखंड मूल्यवर्धित कर अधिनियम 2005 की धारा-58(1)(vii) के अंतर्गत किसी व्योवाहरी ने युक्ति – युक्त कारण के बिना अधिनियम के उपबंधो के अधीन देय कर अनुमन्य समय के भीतर जमा नहीं किया है तो वह देय कर का कम से कम 10% किन्तु अधिक से अधिक 25% यदि कर 10 हज़ार रूपए तक हो और देय कर का 50% यदि कर 10 हजार रूपए से अधिक हो का दायी होगा|

कार्यालय डिप्टी कमिश्नर (क. नि.) –IV राज्य कर, देहरादून के अभिलेखों की नमूना लेखापरीक्षा जाँच में पाया गया कि 02 व्यापारियो द्वारा विभिन माहों में देय कर की कुल राशि **₹777269**/- को विलंब से जमा किया गया था|

(विवरण संलगन)

अत: विलम्ब से जमा कर की राशि पर अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत न्यूनतम 10% की दर से नियामानुसार ` **77727**/- का अर्थदण्ड अरोपणीय था जो नहीं किया गया था|

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर विभाग द्वारा बताया गया कि व्यापारी से युक्ति युक्त कारण जाना जायेगा एवं लेखापरीक्षा को अवगत कराया जायेगा|

प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में सुधारात्मक कार्यवाही हेतु लाया गया ।

क्र स.	व्योव्हारी का नाम / टिन स.	कर निर्धारण वर्ष	माह	कर जमा करने की तिथि	कर की धनराशि (Rs)	आरोपणीय अर्थदण्ड (Rs)
1.	**सर्वश्री एसo जीo इलेक्ट्रिकल, देहरादून टिनः** 05006822811	2014-15	01/2015	27.03.2015	67677	6767.7
			02/2015	27.03.2015	6589	658.9
			02/2015	27.03.2015	229239	22923.9
			09/2014	29.12.2015	20879	2087.9
2.	**सर्वश्री रीषभ पैकर्स, देहरादून**	2013-14	04/2013	29.07.2013	78485	7848.5
			05/2013	29.08.2013	89400	8940.0
			3rd qtr(oct-dec)	07.03.2014	285000	28500.0
TOTAL					**777269**	**77726.9**

भाग – 2 (ख)

प्रस्तर 03 -आई0टी0सी0 रिवर्स न किये जाने से राजस्व क्षति एवं अर्थदण्ड का अनारोपण ₹ 1.10 लाख।

उत्तराखण्ड मूल्यवर्धित कर अधिनियम 2005 की धारा-58(1)(XI) के अनुसार गलत रुप से आई0टी0सी0 लिये जाने पर दावाकृत धनराशि के तीन गुना अर्थदण्ड आरोपित होगा।

कार्यालय डिप्टी कमिश्नर (क0न0)-4 राज्य कर, देहरादून क0नि0 वर्ष 2013-14 के अभिलेखों की नमूना लेखापरीक्षा जांच मे पाया गया कि व्यापारी सर्व श्री रिसब पैकर्स, देहरादून क0नि0 वर्ष 2013-14 द्वारा संगत वर्ष में ₹ 12,97,742/- की Adhesive Gum की प्रान्तीय खरीद पर 13.5% की दर से ₹ 1,75,195/- के आई0टी0सी0 का दावा किया गया था जिसे कर निर्धारण अधिकारी द्वारा अनुमन्य किया गया था क्योंकि उक्त वस्तु उत्तराखण्ड मूल्यवर्धित कर अधिनियम 2005 की अनुसूची II-B से आछादित थी अत: अन्तरीय कर दर 8.5% (13.5-5) से ₹1,10,308/- का ITC रिवर्स योग्य थी साथ ही धारा 58(1)(XI) के अनुसार दवाकृत ITC की राशि ₹1,10,308/- का तीन गुणा अर्थात ₹3,30,924/- का अर्थदण्ड भी आरोपणीय होगा|

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर विभाग द्वारा बताया गया कि मूल्यवर्धित कर अधिनियम की किसी भी अनुसूची में वर्गीकृत न होने के कारण 13.5% की दर से कर योग्य थी उक्त वस्तु पैकिंग मैटिरियल न हो कर व्यापारिक निर्माण कार्य का रॉ मटेरियल था।

विभाग का उत्तर मान्य नहीं था क्योंकि Adhesive Gum एक प्रकार का पैकिंग मटेरियल के अन्तर्गत थी।

प्रकरण शासन / उच्चाधिकारियों के संज्ञान में सुधारात्मक कार्यवाही हेतु लाया गया|

भाग-III

राजस्व से संबंधित विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण :

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	भाग-II 'क' प्रस्तर संख्या	भाग-II 'ख' प्रस्तर संख्या	सम्पूरक नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी
CT/57/2005-06	-	01	-
CT/29/2006-07	01	01	-
CT/09/2007-08	01	01(क), 01(ख), 02	-
CT/19/2008-09	01,02,03,04	01,02,	-
CT/18/2009-10	-	03	-
CT/01/2010-11	01	-	-
CT/35/2011-12	-	01	-
CT/33/2012-13	-	01,02	-
CT/20/2013-14	-	01,02,03,04,07,08,09,10,11,12,	03,04,05,07
CT/29/2014-15	-	02,03,04	-
CT/16/2015-16	02,03,04,05	01,02	-
CT/27/2016-17	-	01,02,03,04	-
CT/47/2017-18	01	01,02,03,04	-

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्याः

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	प्रस्तर संख्या भाग-2 अ	प्रस्तर संख्या भाग-2 ब	अनुपालन आख्या	

<u>भाग-IV</u>

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

(1) राजस्व से संबंधित इकाई द्वारा **निष्पादित अच्छे कार्य -टिप्पणी शून्य**

(2) व्यय से संबंधित इकाई द्वारा **निष्पादित अच्छे कार्य -टिप्पणी शून्य**

भाग-V

<u>आभार</u>

1. कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनांए उपलब्ध कराने हेतु **कार्यालय डिप्टी कमिश्नर (क0नि0)-IV, राज्य कर, देहरादून** तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है तथापि लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये: शून्य
2. **सतत् अनियमितताएः**
   टिप्पणी- शून्य

3. **लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयाध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गया**

क्रम सं0	नाम	पदनाम
1	सुश्री सुनीता पाण्डेय	डिप्टी कमिश्नर (क0नि0)

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति **कार्यालय डिप्टी कमिश्नर (क0नि0)-IV, राज्य कर, देहरादून** को इस आशय से प्रेषित कर दी जायेगी कि अनुपालन आ ख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे वरिष्ठ उप महालेखाकार/उप महालेखाकार (राजस्व क्षेत्र) को प्रेषित कर दी जाए।

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/राजस्व क्षेत्र